अनुदान संख्या 10 – कोयला मंत्रालय
GRANT No. 10 - MINISTRY OF COAL

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted–					
मूल	Original	498,35,00		498,37,00	435,07,81	-63,29,19
पूरक	Supplementary	2,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					63,23,50
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted–					
मूल	Original	30,00,00		309,95,00	309,82,36	-12,64
पूरक	Supplementary	279,95,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Secretariat – Economic Services				
मू.	O.	1620.00	1379.60	1373.14	-6.46
पु.	R.	-240.40			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय + Excess + बचत– Saving-
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2230"	Major Head "2230"				
श्रम तथा रोजगार	Labour and Employment				
मू.	O.	2575.00			
			2421.10	2421.10	..
पु.	R.	-153.90			
मुख्य शीर्ष "2803"	Major Head "2803"				
कोयला तथा लिग्नाइट	Coal and Lignite				
मू.	O.	40040.00			
पू.	S.	1.00	39712.80	39713.57	+0.77
पु.	R.	-328.20			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	5600.00			
पू.	S.	1.00	..	..	..
पु.	R.	-5601.00			

(I) ₹6501.00 लाख का प्रावधान (दिसम्बर, 2012 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) छह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹6401.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of ₹6501.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in December, 2012) remained wholly unutilised under six heads; of these ₹6401.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2803"- "अन्य व्यय - पर्यावरणी उपाय और धसकन नियंत्रण" - ₹900.00 लाख स्कीम संबंधी दावे प्राप्त न होने के कारण थे।

(A) Major Head "2803" - "Other Expenditure - Environmental Measures and Subsidence Control" - ₹900.00 lakhs - due to non-receipt of claims towards the scheme.

(खा) मुख्य शीर्ष "2552"-

(क) "कोयला और लिग्नाइट - अन्य व्यय"-

(i) "क्षेत्रीय समन्वेषण" - ₹800.00 लाख;

(ii) "विस्तृत वेधन" - ₹1440.00 लाख; और

(ख) "कोयला और लिग्नाइट - अनुसंधान और विकास - अन्य स्कीमें" - ₹160.00 लाख।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान कोयला कम्पनियों द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में लागू किए जाने के लिए किसी भी स्कीम के अस्तित्व में न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(ग) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना - कोयला और लिग्नाइट - अन्य व्यय" - ₹3101.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष "3451" - "सचिवालय - कोयला मंत्रालय" के अंतर्गत ₹246.86 लाख की बचत (₹1620.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने, छुट्टी यात्रा रियायत के कम दावे प्राप्त होने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2230" - "श्रम - श्रमिक के लिए सामाजिक सुरक्षा - कोयला खान पेंशन स्कीम, 1998" के अंतर्गत ₹153.90 लाख की बचत (₹2575.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दावे प्राप्त न होने और संशोधित अनुमान चरण पर वित्त मंत्रालय द्वारा प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(B) Major Head "2552" -

(a) "Coal and Lignite - Other Expenditure"-

(i) "Regional Exploration" - ₹800.00 lakhs;

(ii) "Detailed Drilling" – ₹1440.00 lakhs; and

(b) "Coal and Lignite - Research and Development - Other Schemes" - ₹160.00 lakhs.

Provisions under the above three heads remained unutilised due to non-existence of any scheme to be implemented in North Eastern Region by the Coal companies.

(c) "Tribal Area Sub Plan - Coal and Lignite - Other Expenditure"- ₹3101.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) Under Major Head "3451" – "Secretariat - Ministry of Coal"- saving of ₹246.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1620.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less claims towards leave travel concession and economy measures.

(III) Under Major Head "2230" - "Labour - Social Security for Labour - Coal Mines Pension Scheme, 1998" - saving of ₹153.90 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2575.00 lakhs) was due to non-receipt of claims and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(IV) मुख्य शीर्ष "2803" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "कोयला और लिग्नाइट कम्पनियों को सहायता" -

(क) "कोयला क्षेत्रों में परिवहन अवसंरचना के विकास के लिए उपकर (उत्पाद शुल्क) के संग्रहण संबंधी अदायगी" - ₹1000.00 लाख की बचत (₹5000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परिवहन अवसंरचना के विकास के लिए कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) "कोयला और कोक पर उपकर (उत्पाद शुल्क) के संग्रहण संबंधी अदायगी" - ₹1829.00 लाख की बचत (₹13730.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोयला और लिग्नाइट पर उपकर (उत्पाद शुल्क) के संग्रहण संबंधी कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(खा) "अन्य व्यय - क्षेत्रीय समन्वेषण" - ₹4300.00 लाख की बचत (₹6200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) क्षेत्रीय समन्वेषण के लिए कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹7729.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "2803" - "अन्य व्यय - विस्तृत वेधन" के अंतर्गत मार्च, 2013 में ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹7728.00 लाख था।

3. कोयला खान श्रमिक आवास तथा सामान्य कल्याण निधि:-

कोयला खान कल्याण निधि अधिनियम, 1947 के अधीन कोयला और कोक के प्रेषण पर लगाए गए उपकर की प्राप्तियां शीर्ष "0038" - "संघ उत्पाद शुल्क" को जमा की

(IV) Under Major Head "2803" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Assistance to Coal and Lignite Companies" -

(a) "Payment against collection of Cess (excise duty) towards Development of Transportation infrastructure in Coalfield Areas" – saving of ₹1000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs) was due to receipt of less claims towards development of transport infrastructure.

(b) "Payment against collection of Cess (excise duty) on coal and coke" – saving of ₹1829.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13730.00 lakhs) was due to receipt of less claims towards collection of cess (excise duty) on coal and lignite.

(B) "Other Expenditure – Regional Exploration" – saving of ₹4300.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6200.00 lakhs) was due to receipt of less claims towards regional exploration.

2. The above savings were partly (₹7729.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in March, 2013 under Major Head "2803" - "Other Expenditure - Detailed Drilling". Actual excess, however, was ₹7728.00 lakhs.

3. Coal Mines Labour Housing and General Welfare Fund:-

The proceeds of cess levied on the despatch of Coal and Coke under Coal Mines Welfare Fund Act, 1947 are credited to the head "0038" "Union

जाती हैं तथा बजटीय आवंटन के माध्यम से कुछ राशि निधि को अंतरित कर दी जाती थी। यह अधिनियम 01 अक्तूबर, 1986 को निरस्त कर दिया गया। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, बकाया राशि भारत की समेकित निधि को अंतरित कर दी गई थी।

Excise Duties" and some amount out of it was being transferred to the fund through budgetary allocation. The said Act has been repealed on 1st October, 1986. During the current financial year, the outstanding amount was transferred to Consolidated Fund of India.

वर्ष 2012-13 के लिए निधि का लेखा निम्नानुसार था:-

The Account of the fund for the year 2012-13 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening balance	2,66,80*
प्राप्तियां	Receipts	..
अदायगियां	Payments	..
भारत की समेकित निधि को अंतरित	Transferred to Consolidated Fund of India	2,66,80
अंतशेष	Closing balance	शून्य Nil

*प्रारंभिक शेष वित्त लेखों के साथ समाधान के कारण पिछले वर्ष से भिन्न है।

*Opening balance differs from last year due to reconciliation with Finance Accounts.